

प्रेषकः

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०।

संदर्भ में

1. निदेशक / प्रधानाधार्यः
सनस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय / संस्थान, उ०प्र०।
2. सनस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षकः
सनस्त जिला चिकित्सालय, उ०प्र०।

पत्र संख्या: एस०पी०एम०य० / ब्लड सर्विसेज / २०१७-१८ / १५०२-२ दिनांक २५-५-२०१७

विषय—जनसामान्य को आवश्यकता के समय रक्त की उपलब्धता सुलभ कराने हेतु रक्तकोषों द्वारा स्टॉक एवं सामग्री संसाधन की सूचना रक्तकोष के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने के संदर्भ में।

महोदयः

संझान में लाना है कि आवश्यकता के समय समस्त जलरतमंद को समय उच्च गुणवत्ता का रक्त उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार कठिनाई है। जिसके क्रम में शासन एवं महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित आदेश भी निर्गत किये जा चुके हैं, परन्तु कातिपय रक्तकोषों द्वारा अभी तक जलरतमंद को रक्त की सुलभ उपलब्धता हेतु कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करायी जा सकी है, जोकि प्रदेश सरकार द्वारा जनसामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली सुलभ चिकित्सकीय सेवाओं के संकलन के दृष्टिगत अल्पतर खेद का विषय है।

प्रदेश में स्थापित रक्तकोषों के द्वारा जनसामान्य को आकस्मिकता के समय रक्त की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत आपसे निम्न कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है—

- आप अपने संस्थान में सचालित रक्तकोष के द्वारा खुपत जा आकलन कर रेतिकल रक्तदान से प्रदूर मात्रा में रक्त संप्रहित कर मुख्य द्वार पर रक्तकोष में उपलब्ध रक्त स्टॉक की जानकारी दैनिक आधार पर प्रदर्शन रुनिश्चित कराने का काष्ट करें, जिससे जलरतमंद द्वारा याहित रक्त समूह की अनुपलब्धता की दशा में बिना समय का हास किये अन्यत्र लाइसेन्सशुद्ध रक्तकोष से रक्त प्राप्त किया जा सके। साथ ही रक्तकोष द्वारा रक्त रट्टोंक की दैनिक सूचना एस०पी०टी०सी० की वेबसाइट www.sbitcup.org पर प्राथमिकता के आधार पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें, जिससे रक्तकोष की भण्डारण की स्थिति एवं दाहित समूह दो उपलब्धता यित्सी भी स्थान से ज्ञात की जा सके।
- रक्तकोषों में कार्यरत समरत अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं मोबाइल नं० पदनाम सहित रक्तकोष के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित किया जाये, जिससे जलरतमंद को आवश्यकता के समय सम्बन्धित व्यक्ति से सीधे सम्पर्क स्थापित कर सके।
- रक्त कोष के मुख्य द्वार पर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुरूप रक्त एवं रक्त अपवाहों के शुल्क स्थायी रूप से प्रदर्शित करने के साथ-साथ विशेष प्रकार के रोमियों जौसे—थैलसीमिया, हीमोफिलीया, एच०आई०टी० आदि के साथ जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को दिये जाने वाले निःशुल्क व्यवस्था का भी विवरण उल्लिखित किया जाये।

- रवतकोष में प्रत्येक कक्ष में लीसीटीवी की स्थापना सुनिश्चित की जाये, जिसका व्यय रवतकोष द्वारा संग्रहित यूजर्स चार्जेस अथवा रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध धनराशि से बहन किया जायेगा। कृपया उपरोक्त कार्यदाहियों हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने के साथ प्राथमिकता के साथ अनुपालन करने का कष्ट करें, जिससे प्रत्येक जलरतमद को सम्मिलित रवत उपलब्ध एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

*AS
अमृत
(आलोक कुमार)*
मिशन निदेशक

पत्र संख्या: एस०पी०एम०य०० / ब्लड सर्विसेज / 2017-18 /

दिनांक

प्रतिलिपि—

- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सावध सूचनार्थ।
- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, त्वास्थ्य महानिदेशालय उ०प्र० का इस आशय से प्रेषित की समस्त राजकीय चिकित्सालयों को उपरोक्त सम्बन्ध में स्वयं स्तर से भी आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।
- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, जवाहर भवन, लखनऊ, उ०प्र० का इस आशय से प्रेषित की समस्त चिकित्सा संस्थानों को उपरोक्त सम्बन्ध में स्वयं स्तर से भी आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।
- निदेशक, चिकित्सा उपचार को अनुपालनार्थी कार्यदाही हेतु प्रेषित।
- निदेशक, राज्य रवत संचरण परिषद, उ०प्र० को अनुपालनार्थी कार्यदाही हेतु प्रेषित।
- समस्त रवतकोष प्रभारी, राजकीय/सरकारी रवतकोष जो इस आशय से प्रेषित कि निर्देशों का पालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें।

*(डॉ. ए०य० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, ब्लड रोल*

प्रेषक,

निशन निवेशक,
राष्ट्रीय रथारथ्य निशन,
उ०प्र०।

संदेश में,

1. निवेशक / प्रधानाधार्यः
रामरत् राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय / संस्थान, उ०प्र०।
2. रामरत् प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
रामरत् जिला चिकित्सालय, उ०प्र०।

पत्र संख्या: एस०पी०एम०य०० / ब्लड राधिरेज / 2017-18 /

दिनांक 25.5.2018

विषय—जनसामान्य को आवश्यकता के समय रक्त की उपलब्धता युलभ कराने हेतु रक्तकोषों द्वारा स्टॉक एवं मानव संसाधन की सूचना रक्तकोष के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने के संदर्भ में।

महोदय,

संज्ञान में लाना है कि आवश्यकता के समय समर्त जलरतमद को समय उच्च गुणवत्ता का रक्त उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार कठिन है। जिसके काम में शासन एवं महानिवेशालय द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित आदेश भी निर्गत किये जा द्युके हैं, परन्तु क्षिप्र रक्तकोषों द्वारा अभी तक जलरतमद को रक्त की युलभ उपलब्धता हेतु कार्यदाही सुनिश्चित नहीं करायी जा रही है, जोकि प्रदेश सरकार द्वारा जनसामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली युलभ चिकित्साकीय सेवाओं के लकड़ के दृष्टिगत अत्यन्त खेद का विषय है।

प्रदेश में स्थापित रक्तकोषों के द्वारा जनसामान्य को आफसिकता के समय रक्त की युलभ उपलब्धता सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत आपसे निम्न कार्यदाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है—

- आप अपने संस्थान में सद्व्यवहारित रक्तकोष के द्वारा खपत का आकंलन कर स्वीच्छक रक्तदान से प्रदूर मात्रा में रक्त संग्रहित कर मुख्य द्वार पर रक्तकोष में उपलब्ध रक्त स्टॉक की जानकारी दैनिक आधार पर प्रदर्शन सुनिश्चित कराने का कार्य करें, जिससे जलरतमद द्वारा यांचित रक्त समूह की अनुपलब्धता की दशा में दिना समय का हास किये आन्यत्र लाइसेन्सशुदा रक्तकोष से रक्त प्राप्त किया जा सके। साथ ही रक्तकोष द्वारा रक्त स्टॉक की दैनिक सूचना एस०पी०टी०सी० की वेबसाइट www.sbtcup.org पर प्राथमिकता के आधार पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें, जिससे रक्तकोष की यन्डरेण की रिप्टिएट एवं यांचित समूह की उपलब्धता किसी भी स्थान से ज्ञात की जा सके।
- रक्तकोषों में कार्यरत समर्त अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं मोबाइल नं० पदनाम राहित रक्तकोष के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित किया जाये, जिससे जलरतमद को आपश्यकता के समय सम्बन्धित व्यक्ति से सीधे सम्पर्क स्थापित कर सकें।
- रक्त कोष के मुख्य द्वार पर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुलूप रक्त एवं रक्त अवयवों के युलभ स्थायी रूप से प्रदर्शित करने के साथ-साथ विशेष प्रकार के रोगियों जैसे—थेलेसीमिया, हीमोफिलीया, एच०आई०टी० आदि के साथ जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को दिये जाने वाले नियुलक व्यवरथा का भी विवरण उल्लिखित किया जायें।

- रक्तकोप में प्रत्येक कक्ष में सीरीटीवी की स्थापना सुनिश्चित की जाये, जिसका व्यय रक्तकोप द्वारा संग्रहित मूजर्स चार्जेस अथवा रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध घनराशि से बहन किया जायेगा। कृपया उपरोक्त कार्यवाहियों हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने के साथ प्राथमिकता के साथ अनुपालन करने का कष्ट करे, जिससे प्रत्येक जलरतमद को रात्रामय रूपता उपलब्ध एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।


भवदीय

(आलोक मुमार)
मिशन निदशक

पत्र संख्या: एस०पी०एम०य००/ब्लड रार्टिसेज/2017-18/ 1502 -2(6) दिनांक

प्रतिलिपि—

- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सावध तूचनार्थ।
- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य स्वास्थ्य महानिदेशालय उ०प्र० का इस आशय से प्रेषित की समस्त राजकीय चिकित्सालयों को उपरोक्त सम्बन्ध में स्वयं स्तर से भी आदेश निर्गत करने का कष्ट करे।
- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, जवाहर नवन, लखनऊ, उ०प्र० का इस आशय से प्रेषित की समस्त चिकित्सा संस्थानों को उपरोक्त सम्बन्ध में स्वयं स्तर से भी आदेश निर्गत करने का कष्ट करे।
- निदेशक, चिकित्सा उपाधार को अनुपालनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- निदेशक, राज्य रक्त संग्रहण परिषद, उ०प्र० को अनुपालनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- समस्त रक्तकोप प्रभारी, राजकीय/सरकारी रक्तकोप को इस आशय से प्रेषित कि निर्देशों का पालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें।


(डॉ. ए०वी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, ब्लड बैल